



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032026-271423
CG-DL-E-30032026-271423

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 207]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2026/चैत्र 9, 1948

No. 207]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2026/CHAITRA 9, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026

सा.का.नि. 226(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये 31 मार्च, 2026 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष (नि. व.) 2026-27 के लिए फाइल किए गए विवरणी पर लागू होंगे।
- आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है),--
 - नियम (12) में,--
 - उप-नियम(I) में,--
 - प्रारम्भिक भाग में, "2025" अंक के स्थान पर, "2026" अंक रखा जाएगा ;
 - खंड (क) में, उपखंड (ii) में, "एक से अधिक गृह संपत्ति" शब्दों के स्थान पर "दो से अधिक गृह संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे;
 - खंड (गक) में, मद (झछ) के परंतुक में, एक से अधिक शब्दों "एक से अधिक गृह संपत्ति" शब्दों के स्थान पर "दो से अधिक गृह संपत्ति" शब्द रखे जाएंगे;
 - उप-नियम (5) "2024" के स्थान पर "2025" अंक रखे जाएंगे।
- उक्त नियमों के परिशिष्ट- 2 में,--

(क) प्ररूप आईटीआर-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

फाइल नं.	आईटीआर-1 सहज	भारतीय आय-कर विवरणी ऐसे व्यष्टि के लिए, जो निवासी (मामूली तौर पर निवासी से भिन्न) है, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिसकी वेतन, दो गृह संपत्तियां, अन्य स्रोतों (ब्याज आदि), धारा 112क के अधीन 1.25 लाख रुपए तक दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ और 5 हजार रुपये तक की कृषि आय से आय है। ऐसे व्यष्टि के लिए नहीं, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर-सूचीबद्ध साम्य शेषकों में निवेश किया है या ऐसी दशाओं में, जहां 1946 के अधीन स्रोत पर कर काटा गया है या यदि ईएसओपी पर आय-कर स्थगित है) या जिसकी भारत से बाहर अवस्थित संपत्ति (जिसमें किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) (पात्रता के लिए नियम देखें)	निर्धारण वर्ष					
			2	0	2	6	-	2

भाग क साधारण जानकारी

(क1) स्थायी खाता संख्या	(क2) प्रथम नाम	(क4) जन्म तारीख	(क5) आधार नंबर (12 अंक)
	(क2क) मध्य नाम		
	(क3) अंतिम नाम		
		ता	ता
		मा	मा
		वर्ष	वर्ष
		वर्ष	वर्ष

संसूचना के प्रयोजनों के लिए ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं

(क6) (क) करदाता का प्राथमिक मोबाइल नंबर	(क6) (ख) दूसरा मोबाइल नं.	(क7) (क) करदाता की प्रमुख ईमेल आईडी	(क7) (ख) दूसरी ईमेल आईडी	प्राथमिक पता (क8) फ्लैट /द्वार /ब्लॉक सं. (क9) परिसर का नाम/भवन/ग्राम का नाम (क10) सड़क/गली /डाकघर क्षेत्र/अवस्थिति (क11) शहर/नगर/जिला (क12) राज्य (क13) देश (क14) पिनकोड द्वितीयक पता (क8ख) फ्लैट /द्वार /ब्लॉक सं. (क9ख) परिसर का नाम/भवन/ग्राम का नाम (क10ख) सड़क/गली /डाकघर क्षेत्र/अवस्थिति (क11ख) शहर/नगर/जिला (क12ख) राज्य (क13ख) देश (क14ख) पिनकोड
---	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

(क15) धारा के अधीन फाइल (टिक) /कृपया निर्देश देखें/

 139(1) -- नियत तारीख पर या उससे पूर्व, 139(4) - विलंबित, 139 (5) - पुनर्रीक्षित, 119 (2) (ख) - देरी की माफी के पश्चात्

(क17) रोजगार की प्रकृति -

 केंद्रीय सरकार राज्य सरकार
 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पेंशनभोगी-सीजी पेंशनर-एसजी
 पेंशनभोगी -पीएसयू पेंशनभोगी-अन्य अन्य लागू नहीं (जैसे कुटुंब पेंशन आदि)

(क16) या धारा के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया

 139(9), 142(1), 148, 153ग

(क18) यदि पुनर्रीक्षित/ दोषपूर्ण है, तो मूल विवरणी की रसीद संख्या और फाइल करने की तारीख दर्ज करें। (तारीख/माह/वर्ष)

/ /

(क19) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस है या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के उत्तर में फाइल किया जाता है - यूनीक संख्या / दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) और ऐसे नोटिस या आदेश की तारीख दर्ज करें

/ /

(क20) क्या आप नई कर व्यवस्था से बाहर रहने के लिए धारा 115 खकग (6) के अधीन विकल्प का उपयोग करना चाहते हैं? (डिफॉल्ट "नहीं" है) हाँ नहीं(क21) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के अधीन आय-कर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आय-कर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? - (टिक) हाँ नहीं

यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, लेकिन धारा 139(1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण वह आय का विवरणी फाइल कर रहा है]	
(i) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है? (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
(ii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है। (हां नहीं)	धनराशि (रु) (यदि हाँ है)
(iii) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)	(टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
(क22) क्या यह विवरणी निर्धारिती प्रतिनिधि के द्वारा फाइल की जा रही है। निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं यदि हां, कृपया निम्नलिखित जानकारी दें	
(1)	निर्धारिती प्रतिनिधि का नाम
(2)	निर्धारिती प्रतिनिधि का ईमेल आईडी
(3)	निर्धारिती प्रतिनिधि का संपर्क नंबर

भाग ख सकल कुल आय		केवल पूरा रुपया (₹)	
ख1	i	सकल वेतन (iक + iख + iग)	i
वेतन/पेंशन	क	धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक
		धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	iख
		धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग
	ii	धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन) (सुनिश्चित करें कि यह वेतन आय में सम्मिलित है) 17(1)/17(2)/17(3)	ii
	iii	शुद्ध वेतन (i - ii)	iii
	iv	धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख + ivग)	iv
	क	धारा 16 (iक) के अधीन मानक कटौती	ivक
		16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख
		धारा 16(iii) के अधीन व्रत्तिक कर	ivग
	v	'वेतन' मद के अधीन प्रभारित आय (iii - iv)	ख1

ख2	गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्रॉप डाउन उपलब्ध कराया जाना है)				
	संपत्ति का पता 1	नगर/शहर	राज्य	देश	
	क्या संपत्ति सह-स्वामित्व में है? <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हां तो निम्नलिखित ब्यौरे दें) संपत्ति में आपका प्रतिशत(%) भाग <input type="checkbox"/>				
	सहस्वामी(यों) का नाम	सहस्वामी(यों) का स्थायी खाता संख्या/आधार	संपत्ति का प्रतिशत भाग		
	I				
	II				
	लागू विकल्प पर टिक करें	किरायेदार(रों) का नाम (यदि किराये पर हो)	किरायेदार(रों) का स्थायी खाता संख्या/आधार(कृपया टिप्पण देखें)	किरायेदार(रों) का स्थायी खाता संख्या/ कर कटौती संख्यांक /आधार संख्या(यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)	
	<input type="checkbox"/> स्व-कब्जे	I			
	<input type="checkbox"/> किराए पर	II			
	<input type="checkbox"/> किराए पर समझा गया				
गृह संपत्ति	क	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य			1क
	ख	किराये की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती			1ख
	ग	स्थानीय प्राधिकारियों को कर का भुगतान किया गया	1ग		
	घ	कुल(1ख+1ग)	1घ		
	ड.	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ)(कुछ नहीं, यदि स्वयं के अधिभोग में है अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार)			1ड.
	च	स्वामित्व की संपत्ति का वार्षिक मूल्य(स्वयं का प्रतिशत भाग*1ड.			1च
	छ	वार्षिक मूल्य का 30%	1छ		
	ज	उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	1ज		
	झ	कुल योग(1छ+1ज)	1झ		
	ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अवसूल किराया 30% से कम	1ञ		
ट	गृह संपत्ति से आय 1(1च-1झ+1ञ)	1ट			
	गृह संपत्ति ' 1ट (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) के अधीन प्रभारित आय टिप्पण: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपए है। अग्रणीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -2 का उपयोग करें			ख2	
टिप्पण:	(दो संपत्तियों तक प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें) किरायेदार का स्थायी खाता संख्यांक/आधार संख्यांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यदि कर की कटौती धारा 194झख के अधीन की गई है।				

	किरायेदार का टैन संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यदि कर की कटौती धारा 194इ के अधीन की गई है।		
	अन्य स्रोतों से आय (बचत खाते, जमा आदि से ब्याज जैसे बचत खाते, जमा आदि को ई-फाइलिंग उपयोगिता में आय की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए प्रदान किया जाना है लाभांश आय के मामले में, धारा 234 ग से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें)	ख3	
	कटौती: धारा 57 (ii क) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)		
ख4	सकल कुल आय (ख1 + ख2 + ख3 + ग3 (क)(iii) (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) टिप्पण: हानि के अग्रेषण व समुच्चयन का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -2 का उपयोग करें	ख4	

भाग ग - कटौती और कर योग्य कुल आय

80ग (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गग (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गघ(1) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गघ(1ख) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गघ(2) (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80गगज	80घ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80घघ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80घघख (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80ङ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80ङङ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
80ङङक (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80ङङख (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छछ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छछक (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80छछग (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	80ननक	80ननख	80प (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
कुल कटौती					ग1			कुल आय (बी4-ग1)	ग2	

टिप्पण: कुल आय क्षेत्र के अंतर्गत धारा 112क के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ भी सम्मिलित है, तथापि उक्त आय पर कोई आय संदेय नहीं होगा

ग(3)	रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए छूटप्राप्त आय और आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है	ई-फाइलिंग उपयोगिता में छूटप्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और धारा का उल्लेख करते हुए ड्रॉप डाउन प्रदान किया जाना चाहिए
ग(3)क	धारा 112क के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ पर आयकर नहीं लगता है	
	i. कुल विक्रय प्रतिफल ii. अर्जन की कुल लागत iii. धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ	

भाग घ - संदेय देय कर की संगणना							
घ1	कुल आय पर देय कर		घ2	धारा 87क के अधीन छूट		घ3	छूट के पश्चात कर
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ घ3 पर 4%		घ5	कुल कर और उपकर		घ6	धारा 89 के अधीन राहत (कृपया इस राहत का दावा करने के लिए प्ररूप 10ड जमा करना सुनिश्चित करें)
घ7	धारा 234क के अधीन ब्याज		घ8	धारा 234ख के अधीन ब्याज		घ9	धारा 234ग के अधीन ब्याज
घ10	234च के अधीन शुल्क		घ10(क)	पुनरीक्षित आय कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए फीस(धारा 234-1)			
घ11	कुल कर, शुल्क और ब्याज (घ5 + घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ10(क) - घ6)						
घ12	भुगतान किए गए कुल कर		घ13	देय राशि (घ11-घ12) (यदि घ11>घ12)		घ14	प्रतिदाय (घ12-घ11) (यदि घ12>घ11)

भाग ड - अन्य जानकारी

पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)

क्र. सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	खाते का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा प्रदान किया जाने वाला ड्रॉपडाउन)	धनवापसी उधार के लिए खाते का चयन करें
1.					

1. निष्क्रिय खातों को छोड़कर, किसी भी समय खोले गए सभी बैंक खातों की रिपोर्ट देनी होगी।
2. उधार प्रतिदाय के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए।
3. यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं तो विवरणी की प्रक्रिया के बाद भी सीपीसी द्वारा तय किए गए मान्य खातों में से एक में प्रतिदाय का भुगतान कर दिया जाएगा।

अनुसूची-आईटी अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर भुगतान का विवरण

	बीएसआर कोड	जमा करने की तारीख (ता/माह/वर्ष)	चालान का सीरियल नंबर	कर का भुगतान
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)
आर1				
आर 2				

अनुसूची-टीडीएस -- टीडीएस/टीसीएस का विवरण [कटौतीकर्ता(ओं)/नियोक्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16/16क/16ग/27घ के अनुसार]

	कटौतीकर्ता/कलेक्टर का टैन या किरायेदार की पैन/आधार संख्या	कटौतीकर्ता/कलेक्टर/ किरायेदार का नाम	धारा, जिसके अधीन स्रोत पर कर कटौती की गई है	सकल भुगतान/प्राप्ति जो कर कटौती/संग्रह के अधीन हो।	कर कटौती/संग्रहण का वर्ष	कटौती/संगृहीत किया गया कर	(5) में से इस वर्ष दावा किए गए टीडीएस/टीसीएस जमा
	स्तंभ (2)	स्तंभ (3क)	स्तंभ (3ख)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)	स्तंभ (6)	स्तंभ (7)
टी							
टी							

सत्यापन

प्राप्तकर्ता पदधारी की
स्टाम्प रसीद संख्या,
मुहर, तारीख और
हस्ताक्षर

मैं,..... पुत्र/पुत्री सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, विवरणी में दी गई जानकारी सही और पूर्ण है और आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं आगे घोषणा करता हूँ कि मैं _____ के प्ररूप में अपनी क्षमता में यह विवरणी दे रहा हूँ (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किया जाने वाला डॉप डाउन) और मैं इस विवरणी को बनाने और इसे सत्यापित करने के लिए भी सक्षम हूँ। मेरे पास स्थायी खाता संख्या है। (कृपया निर्देश देखें)।

तारीख:

हस्ताक्षर:

। यदि विवरणी कर विवरणी तैयार करने वाले (टीआरपी) द्वारा तैयार किया गया है, तो नीचे और विवरण दें :

टीआरपी की पहचान संख्या	टीआरपी का नाम	टीआरपी के काउंटर हस्ताक्षर
यदि टीआरपी सरकार से किसी प्रतिपूर्ति की हकदार है, तो उसकी राशि :		

(ख) प्ररूप आईटीआर -4 सुगम के लिए, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप	आईटीआर -4 सुगम	भारतीय आय-कर विवरणी	निर्धारण वर्ष
		<p>ऐसे व्यक्ति, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी से भिन्न), के लिए, जो निवासी है, जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिसकी कारबार और वृत्ति से आय है, जो धारा 44कघ, धारा 44कघक या धारा 44कड के अधीन संगणित है, और जिसको धारा 112क के अधीन 1.25 लाख रुपए तक दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ है।</p> <p>ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं, जो या तो किसी कंपनी में निदेशक है या जिसने गैर-सूचीबद्ध साम्य शेरों में निवेश किया है या यदि ईएसओपी पर आय-कर स्थगित है या जिसकी 5000 रुपये से अधिक कृषि आय है या जिसकी भारत से बाहर अवस्थित संपत्ति (जिसमें किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी हैं) है</p> <p>(पात्रता के लिए नियम देखें)</p>	2 0 2 6 - 2 7

भाग क साधारण जानकारी

(क1) प्रथम नाम	(क2) मध्य नाम	(क3) अंतिम नाम	(क4) स्थायी खाता संख्या
(क5) जन्म तारीख/ गठन (ता./माह/वर्ष)		संरचना के प्रयोजनों के लिए पता उपलब्ध कराया जाए प्राथमिक पता (क6क) फ्लैट /द्वार /ब्लाक सं. (क7क)परिसर का नाम/भवन/ग्राम का नाम (क8क)सड़क/गली /डाकघर (क9क)क्षेत्र/अवस्थिति (क10क)शहर/नगर/जिला (क11क)राज्य (क12क)देश (क13क) पिनकोड	
		द्वितीयक पता (क6ख) फ्लैट /द्वार /ब्लाक सं. (क7ख)परिसर का नाम/भवन/ग्राम का नाम (क8ख)सड़क/गली /डाकघर (क9ख) क्षेत्र/अवस्थिति (क10ख) शहर/नगर/जिला (क11ख) राज्य (क12ख) देश (क13ख) पिनकोड	
(क14) आधार नंबर (12 अंक)			(क15) प्रास्थिति व्यक्ति <input type="checkbox"/> एचयूएफ <input type="checkbox"/> फर्म (एलएलपी के अलावा) <input type="checkbox"/>
संसूचना के प्रयोजनों के लिए ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं (क16) करदाता का प्रमुख मोबाइल नंबर सहित एसटीडी कोडके साथ आवासीय/कार्यालय फोन नंबर		(क17) दूसरा मोबाइल नंबर	(क18) करदाता का प्रमुख ईमेल पता (स्वयं) (क18ख) दूसरा ईमेल पता

(क19) रोजगार की प्रकृति - <input type="checkbox"/> केंद्रीय सरकार <input type="checkbox"/> राज्य सरकार <input type="checkbox"/> सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-सीजी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-एसजी <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी-पीएसयू <input type="checkbox"/> पेंशनभोगी- अन्य <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/> लागू नहीं (उदा. कुटुंब पेंशन आदि.)	
(क20)(क) यू/एस द्वारा फाइल (टिक) [कृपया निर्देश देखें]-	<input type="checkbox"/> 139(1)- नियत तारीख पर या उससे पूर्व, <input type="checkbox"/> 139(4)- नियत तारीख के पश्चात, <input type="checkbox"/> 139(5)- संशोधित विवरणी, <input type="checkbox"/> 119(2)(ख)- देरी की माफी के पश्चात
(ख) या धारा के अधीन नोटिस के उत्तर में फाइल किया गया	<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153ग
(क21) यदि पुनर्ीक्षित/दोषपूर्ण है तो मूल विवरणी की रसीद संख्या और मूल विवरणी फाइल करने की तारीख (ता./माह/वर्ष) दर्ज करें।	/ /
(क22) यदि धारा 139(9)/142(1)/148/153ग के अधीन नोटिस या धारा 119(2)(ख) के अधीन आदेश के उत्तर में फाइल किया जाता है दिया जाता है - विशिष्ट संख्या/दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) और ऐसे नोटिस या आदेश की तारीख दर्ज करें।	/ /
(क23) क्या आपने पुरानी कर पद्धति का चयन करते हुए किसी पूर्व निर्धारण वर्ष के लिए देय तारीख के भीतर प्ररूप 10झडक फाइल किया है ? निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/> लागू नहीं होता	
(क) यदि क23 का उत्तर हां है, तो,--	
(i) प्ररूप 10झडक की अभिस्वीकृति संख्यांक और वह निर्धारण वर्ष, जिसके लिए पुरानी कर पद्धति का चयन करके फाइल किया गया था, प्रस्तुत करें	
(ii) क्या आपने पूर्व में आईटीआर 3/4 फाइल की है और पश्चात्कर्ती किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके लिए पहले प्ररूप 10झडक पुरानी कर पद्धति का चयन करके फाइल किया गया था, प्ररूप 10झडक फाइल करके नई कर पद्धति में पुनः प्रवेश किया गया है। निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(क) यदि क23(क)(ii) का उत्तर हां है, तो उस दूसरे प्ररूप 10झडक की अभिस्वीकृति संख्यांक और वह निर्धारण वर्ष, जिसके लिए नई कर पद्धति चयन करके प्ररूप फाइल किया गया था, प्रस्तुत करें और नई कर पद्धति में आईटीआर प्रस्तुत करें--	
(ख) यदि क23(क)(ii) का उत्तर नहीं है, तो क्या आपने चालू निर्धारण वर्ष के लिए नई कर पद्धति में पुनः प्रवेश करने के लिए प्ररूप 10झडक प्रस्तुत किया है ? निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(ख)(i) यदि हां, तो 10झडक की अभिस्वीकृति संख्यांक उपलब्ध कराएं और नई कर पद्धति में आईटीआर प्रस्तुत करें।	
(ख)(ii) यदि नहीं, तो पुरानी कर पद्धति में आईटीआर प्रस्तुत करें।	
(ख) यदि क23 का उत्तर नहीं है :	
क्या आपने पुरानी कर पद्धति का चयन करने के लिए चालू निर्धारण वर्ष के लिए नियत तारीख के भीतर प्ररूप 10झडक प्रस्तुत किया है ? निशान लगाएं <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं	
(i) यदि क23(ख) का उत्तर हां है, तो 10झडक की अभिस्वीकृति संख्यांक उपलब्ध कराएं और तब पुरानी कर पद्धति में विवरणी प्रस्तुत करें,	
(ii) यदि क23(ख) का उत्तर नहीं है, तो नई कर पद्धति में आईटीआर प्रस्तुत करें।	
टिप्पण —धारा 115खकग(1क) के अधीन डिफाल्ट पद्धति "नई कर पद्धति" है, तो "पुरानी पद्धति" का चयन धारा 115खकग(6) के अधीन नई पद्धति के विकल्प के चयन से निकल कर प्ररूप 10झडक भरकर किया जा सकता है, जिसका प्रयोग धारा 139(1) के अधीन आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को या उसके पूर्व किया जाना चाहिए।	
(क24) क्या आप धारा 139(1) के सातवें परंतुक के अधीन आय-कर विवरणी फाइल कर रहे हैं, लेकिन अन्यथा आय-कर विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है? (फर्म के मामले में लागू नहीं) - (टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं	
यदि हां, तो कृपया ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की गई निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें [टिप्पण: केवल तभी भरा जाना चाहिए, जब किसी व्यक्ति द्वारा धारा 139(1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है, लेकिन धारा 139(1) के सातवें परंतुक में उल्लिखित एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण वह आय का विवरणी फाइल कर रहा है।]	
(i) क्या पिछले वर्ष के दौरान एक या अधिक चालू खाते में आपने 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि जमा की है ? (हां नहीं)	धनराशि (₹) (यदि हाँ है)
(ii) क्या आपने अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है।? (हां नहीं)	धनराशि (₹) (यदि हाँ है)
(iii) क्या आपने पूर्ववर्ष के दौरान बिजली की खपत पर 1 लाख रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि का व्यय किया है। (हां नहीं)	धनराशि (₹) (यदि हाँ है)

(iv) क्या आपको धारा 139(1) के सातवें उपबंध के खंड (iv) के अधीन विहित अन्य शर्तों के अनुसार विवरणी फाइल करना आवश्यक है (यदि हां, तो कृपया ड्रॉप डाउन मेनू से सुसंगत शर्त का चयन करें)	(टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
(क25) क्या यह विवरणी किसी प्रतिनिधि द्वारा फाइल की जा रही है ? (टिक) <input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं (यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करें)-	
(1) निर्धारित प्रतिनिधि का नाम	
(2) निर्धारित प्रतिनिधि की ईमेल आइडी	
(3) निर्धारित प्रतिनिधि का संपर्क नंबर	

भाग ख सकल कुल आय		केवल पूरे - रुपया (₹)	
ख1	व्यवसाय और पेशे से आय (टिप्पण-अनुसूची बीपी के ई 8 से मूल्य दर्ज करें)	ख1	
ख2	i सकल वेतन (iक+iख+iग)	i	
वेतन/पेंशन	क धारा 17(1) के अनुसार वेतन	iक	
	ख धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मूल्य	iख	
	ग धारा 17(3) के अनुसार वेतन के बदले लाभ	iग	
	ii धारा 10 के अधीन छूट की सीमा तक कम भत्ते (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन) [सुनिश्चित करें कि यह 17 (1)/17 (2)/17 (3) के अधीन वेतन आय में सम्मिलित है।	ii	
	iii शुद्ध वेतन (i - ii)	iii	
	iv धारा 16 के अधीन कटौती (ivक + ivख+ivग)	iv	
	क धारा 16(आईए) के अधीन एक मानक कटौती	ivक	
	ख धारा 16(ii) के अधीन मनोरंजन भत्ता	ivख	
	ग धारा 16(iii) के अधीन व्यावसायिक कर	ivग	
	v वेतन 'शीर्षक के अधीन प्रभारित आय (iii - iv)	ख2	
ख3	गृह संपत्ति से आय के ब्यौरे (संपत्ति का स्वामित्व उपदर्शित करते हुए ड्रॉप डाउन उपलब्ध कराया जाना है)		
	संपत्ति का पता	नगर/शहर	राज्य
			देश
			पिन कोड/जिप कोड
	क्या संपत्ति सह स्वामित्व में है <input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं (यदि "हां", कृपया निम्नलिखित ब्यौरे भरें) ।		
	संपत्ति में आपके भाग का प्रतिशत % <input type="text"/>		
	सह-स्वामी का नाम (सह-स्वामियों के नाम)	सह-स्वामी का (स्वामियों के) स्थायी खाता संख्यांक/आधार संख्यांक	संपत्ति में भाग प्रतिशतता
	I.		
	II.		
	लागू विकल्प पर निशान लगाएं <input type="checkbox"/> किराये पर <input type="checkbox"/> स्वयं के अधिभोग में <input type="checkbox"/> किराये पर समझा गया ।	किरायेदार का(रों के) नाम, यदि किराए पर दिया गया है	किरायेदार का(रों के) स्थायी खाता संख्यांक/ आधार संख्यांक
			किरायेदार का(रों के) स्थायी खाता संख्यांक/कर कटौती संख्यांक/आधार संख्यांक (यदि टीडीएस प्रत्यय का दावा किया गया है)
		I.	
		II.	
गृह संपत्ति	क	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य/अनुपयोज्य/अनुमति योग्य मूल्य	1क
	ख	किराये की रकम जो वसूल नहीं की जा सकती	1ख

ग	स्थानीय प्राधिकारियों को कर का भुगतान किया गया	ग		
घ	कुल(1ख+1ग)	1घ		
ड.	वार्षिक मूल्य (1क - 1घ)(कुछ नहीं, यदि स्वयं के अधिभोग में है अधिनियम की धारा 23(2) के अनुसार)		1ड.	
च	स्वामित्व की संपत्ति का वार्षिक मूल्य(स्वयं का प्रतिशत भाग*1ड.		1च	
छ	वार्षिक मूल्य का 30%	1छ		
ज	उधार ली गई पूंजी पर देय ब्याज (ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	1ज		
झ	कुल योग(1छ+1ज)		1झ	
ञ	वर्ष के दौरान प्राप्त बकाया/अवसूल किराया 30% से कम		1ञ	
ट	गृह संपत्ति से आय 1(1च-1झ+1ज)		1ट	
	'गृह संपत्ति' 21ट (यदि हानि हो, तो आंकड़े को नकारात्मक में रखें) शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय: - गृह संपत्ति से अधिकतम नुकसान जो मुजरा किया जा सकता है वह 2,00,000 रुपए है। अग्रनीत और मुजरा हानि का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।		ख 3	
टिप्पण:	(दो संपत्तियों तक प्रत्येक संपत्ति के लिए पृथकतः ब्यौरे भरें) किरायेदार का स्थायी खाता संख्यांक/आधार संख्यांक प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यदि कर की कटौती धारा 194झख के अधीन की गई है। किरायेदार का टैन संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य है, यदि कर की कटौती धारा 194झ के अधीन की गई है।			
ख4	आय की प्रकृति को निर्दिष्ट करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली बचत खाते, जमा आदि से ब्याज जैसे अन्य स्रोतों से आय में कमी आती है और धारा 234ग टिप्पण से लागू राहत की अनुमति देने के लिए तिमाही विवरण का उल्लेख करें- टिप्पण - यदि लागू हो तो "एसएच टीडीएस 2" भरें।		ख4	
	कम: धारा 57 (iiक) के अधीन कटौती (केवल कुटुंब पेंशन के मामले में)			
ख5	सकल कुल आय (ख1 + ख2 + ख3 + ख4+घ20(क)(iii)) नुकसान के सेट और आगे बढ़ने का लाभ उठाने के लिए, कृपया आईटीआर -3/5 का उपयोग करें।		ख5	

भाग ग- कटौती और कर योग्य कुल आय

ग1	80ग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग2	80गगग	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग3	80गगघ (1)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
ग4	80गगघ (1ख)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग5	80गगघ (2)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग6	80घ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
ग7	80घघ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग8	80घघख	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग9	80ड	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)
ग10	80डड	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग11	80डडक	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग12	80डडख	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)

		डाउन में विवरण भरा जाना है)			डाउन में विवरण भरा जाना है)			डाउन में विवरण भरा जाना है)	
ग13	80छ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग14	80छछ	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	ग15	80छछग (विवरण ई-फाइलिंग यूटिलिटी में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में भरना होगा)	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
ग16	80ननक		ग17	80ननख		ग18	80प	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)	
ग18क	80गगज		ग18ख	ई-फाइलिंग उपयोगिता के अनुसार कोई अन्य कटौती	(ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान किए जाने वाले ड्रॉप डाउन में विवरण भरा जाना है)				
ग19	कुल कटौतियां (ग1 से ग18ख तक मद जोड़ें)								ग19
ग20	कराधेय कुल आय (ख5 - ग19)								ग20
टिप्पण:- कुल आय के अंतर्गत धारा 112क के अधीन दीर्घकालिक अभिलाभ सम्मिलित है तथापि, उक्त आय पर कोई कर संदाय नहीं होगा।									

भाग घ - कर संगणना और कर प्राप्ति

घ1	कुल आय पर देय कर (ग20)	घ1	
घ2	87क पर छूट	घ2	
घ3	छूट के पश्चात् देय कर (घ1-घ2)	घ3	
घ4	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर @ [(घ)3 का 4%]	घ4	
घ5	कुल कर, और उपकर (घ3 + घ4)	घ5	
घ6	धारा 89 के अधीन अनुतोष (कृपया इस अनुतोष का दावा करने के लिए प्ररूप 10 ड जमा करना सुनिश्चित करें)	घ6	
घ7	अनुतोष के पश्चात् शेष कर (घ5 - घ6)	घ7	
घ8	धारा 234क के अधीन कुल ब्याज	घ8	
घ9	धारा 234ख के अधीन कुल ब्याज	घ9	
घ10	धारा 234ग के अधीन कुल ब्याज	घ10	
घ11	धारा 234च के अधीन फीस	घ11	
घ11क	पुनरीक्षित आयकर विवरणी प्रस्तुत करने के लिए फीस (धारा 234-झ)	घ11क	
घ12	कुल कर, फीस और ब्याज (घ7 + घ8 + घ9 + घ10 + घ11+ घ11क)	घ12	
घ13	कुल अग्रिम कर का संदाय	घ13	
घ14	कुल स्व- निर्धारण कर का संदाय	घ14	
घ15	कुल दावाकृत टीडीएस (अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग)	घ15	
घ16	कुल संगृहीत टीसीएस (अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल)	घ16	
घ17	संदाय किए गए कुल कर (घ13 + घ14 + घ15 + घ16)	घ17	
घ18	देय रकम (घ12 - घ17, यदि घ12 > घ17)	घ18	
घ19	प्रतिदाय (घ17 - घ12, यदि घ17 > घ12)	घ19	
घ20	केवल रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए छूटप्राप्त आय (यदि कृषि आय 5,000/- रुपये से अधिक है, तो आईटीआर 3/5 का उपयोग करें) और आय, जिस पर कोई कर संदेय नहीं है (छूट प्राप्त आय की प्रकृति, सुसंगत खंड और धारा का उल्लेख करते हुए ई-फाइलिंग उपयोगिता में प्रदान की जाने वाली ड्रॉप डाउन)	घ20	

घ20क	धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है		
	i. कुल विक्रय प्रतिफल		
	ii. अर्जन की कुल लागत		
	iii. धारा 112क के अनुसार दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ		

बैंक खाता	घ21 पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय भारत में रखे गए सभी बैंक खातों का विवरण (निष्क्रिय खातों को छोड़कर)					
	क्र.सं.	बैंक का आईएफएस कोड	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक खाते का प्रकार (ई-फाइलिंग उपयोगिता द्वारा प्रदान किया जाने वाला ड्रॉपडाउन)	प्रतिदाय जमा के लिए खाते का चयन करें
	i					
ii						

1. निष्क्रिय खातों को छोड़कर, किसी भी समय धारित सभी बैंक खातों की रिपोर्ट करनी होगी।
2. प्रतिदाय जमा के लिए न्यूनतम एक खाते का चयन किया जाना चाहिए।
3. यदि एक से अधिक खाते चुने गए हैं तो विवरणी की प्रक्रिया के बाद भी सीपीसी द्वारा तय किए गए मान्य खातों में से एक में प्रतिदाय का भुगतान कर दिया जाएगा।

अनुसूची बीपी - कारबार या वृत्ति से आय का विवरण			
धारा 44कघ के अधीन उपधारित कारबार आय की संगणना			
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम	व्यवसाय कोड	विवरण:
(i)			
ड1	सकल आवर्त या सकल प्राप्तियां (ड1 2 करोड़ रु. तक सीमित है, तथापि यदि [ड1ख + ड1ग], ड1 के 5% से कम या बराबर है तो ड1 के अधीन सीमा 3 करोड़ रु. तक बढ़ा दी जाती है।		
	क	आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से	ड1क
	ख	नकद में प्राप्तियां	ड1ख
	ग	क और ख से भिन्न किसी अन्य पद्धति	ड1ग
ड2	धारा 44कघ के अधीन उपधारित आय		
	क	ड1क का 6% या अर्जित की गई रकम, जो भी अधिक हो,	ड2क
	ख	(ड1ख + ड1ग) का 8% या अर्जित की गई रकम का दावा किया गया है, जो भी अधिक हो।	ड2ख
	ग	कुल (क + ख)	ड2ग
	टिप्पण- यदि आय सकल प्राप्तियों के उपरोक्त प्रतिशत से कम है, तो 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है और लागू अन्य आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।		
धारा 44कघक के अधीन कारबार से उपधारित आय की संगणना			
क्र.सं.	व्यवसाय का नाम/वृत्ति का नाम	व्यवसाय कोड	विवरण:
(i)			
ड3	सकल प्राप्तियां (ड3 50 लाख रु. तक सीमित है, तथापि यदि ड3ख + ड3ग ड3 के 5% से कम या बराबर है तो ड3 के अधीन सीमा 75 लाख रुपये तक बढ़ा दी जाती है।		ड3
	क	आदाता चेक या आदाता बैंक ड्राफ्ट या बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त या निर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त या निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से	ड3क
	ख	नकद में प्राप्तियां	ड3ख
	ग	क और ख से भिन्न किसी अन्य पद्धति	ड3ग
ड4	धारा 44कघक के अधीन उपधारित आय (ई 3 का 50%) या अर्जित की गई रकम, जो भी अधिक हो। टिप्पण- यदि आय सकल प्राप्तियों के 50% से कम है, तो 44कख के अधीन कर लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है और लागू अन्य आईटीआर फाइल किया जाना चाहिए।		ड4

धारा 44कड के अधीन माल गाड़ियों से उपधारित आय की संगणना					
क्र.सं.	व्यवसाय			व्यवसाय कोड	विवरण:
(i)					
	माल गाड़ियों की रजिस्ट्रीकरण संख्या	चाहे स्वामित्व/पट्टे पर लिया गया हो / किराए पर लिया गया हो	माल ढुलाई की टन क्षमता (मीट्रिक टन में)	उन महीनों की संख्या जिनके लिए मालगाड़ी का स्वामित्व/पट्टे/निर्धारिती द्वारा किराए पर लिया गया था	माल ढुलाई के लिए धारा 44कड के अधीन अनुमानित आय (12 मीट्रिक टन से अधिक टन भार होने पर प्रति माह @ 1000 रुपये प्रति टन या फिर @ 7500 रुपये प्रति माह) या वास्तव में अर्जित करने का दावा की गई रकम, जो भी उच्चतर हो
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)					
(ख)					
आवश्यकतानुसार पंक्ति विकल्प जोड़ें (वर्ष के दौरान किसी भी समय यानों की संख्या 10 यानों से अधिक नहीं होनी चाहिए)					
ड5	धारा 44कड [स्तंभ (5)] के अधीन माल ढुलाई से अनुमानित आय टिप्पण- यदि लाभ धारा 44 कड के अधीन निर्धारित से कम है या किसी भी समय स्वामित्व वाले यानों की संख्या 10 से अधिक है, तो अन्य आईटीआर, जैसा भी लागू हो, दाखिल करना होगा।				ड5
ड6	भागीदारों को संदाय किया गया वेतन और ब्याज टिप्पण - यह केवल फर्मों द्वारा भरा जाना है				ड6
ड7	44कड के अधीन उपधारित आय (ड5-ड6)				ड7
ड8	'व्यवसाय या वृत्ति' (ड2ग + ड4 + ड7) शीर्ष के अधीन प्रभारित आय				ड8
जीएसटी के लिए सूचित कारोबार/सकल प्राप्ति के बारे में जानकारी					
टिप्पण - कृपया प्रत्येक जीएसटीआईएन संख्या के लिए नीचे दी गई जानकारी पृथक से प्रस्तुत करें।					
ड9	जीएसटीआईएन संख्या (संख्याएं).				ड9
ड10	फाइल की गई जीएसटी विवरणी के अनुसार बाहरी आपूर्ति का वार्षिक मूल्य				ड10
कारबार का वित्तीय विवरण					
टिप्पण- ड11 से ड25 के लिए 31 मार्च, 2025 तक की जानकारी प्रस्तुत करें।					
ड11	भागीदारों / सदस्यों की अपनी पूंजी				ड11
ड12	सुरक्षित ऋण				ड12
ड13	असुरक्षित ऋण				ड13
ड14	अग्रिम				ड14
ड15	विविध लेनदार				ड15
ड16	अन्य दायित्व				ड16
ड17	कुल पूंजी और दायित्व (ड11 + ड12 + ड13 + ड14 + ड15 + ड16)				ड17
ड18	अचल संपत्तियां				ड18
ड18क	विनिधान				ड18क
ड19	सूची				ड19
ड20	विविध देनदार				ड20
ड21	बैंकों के साथ शेष रकम				ड21
ड22	कैश-इन-हैंड				ड22
ड23	ऋण और अग्रिम				ड23
ड24	अन्य संपत्तियां				ड24
ड25	कुल संपत्ति (ड18+ ड18क+ड19+ड20+ड21+ड22+ड23+ड24)				ड25
टिप्पण ▶ कृपया इस अनुसूची को भरने के लिए निर्देशों को देखें (ड15, ड19, ड20, ड21, ड22 अनिवार्य हैं और अन्य यदि उपलब्ध हैं)					

अनुसूची आईटी अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर संदाय का विवरण															
बीएसआर कोड				जमा करने की तारीख (ता/मा/वर्ष)				चालान नं.				कर का संदाय			
स्तंभ (1)				स्तंभ (2)				स्तंभ (3)				स्तंभ (4)			
द1															
द2															
द3															
टिप्पण ▶ घ 13 और घ 14 में अग्रिम कर और स्व-निर्धारण कर के योग दर्ज करें															

अनुसूची टीसीएस स्रोत पर एकत्र किए गए कर का विवरण [कलेक्टर(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 27घ के अनुसार]					
क्र.सं.	संग्रहकर्ता का कर संग्रहण खाता संख्यांक	संग्रहकर्ता का नाम	प्ररूप 26 कथ में उल्लिखित संदाय की गई रकम का विवरण	कर संग्रह	दावा की जा रही (4) रकम में से
(1)	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)	स्तंभ (5)
i					
ii					
टिप्पण ▶ कृपया घ 16 में अनुसूची-टीसीएस के स्तंभ (5) का कुल योग दर्ज करें					

अनुसूची टीडीएस-1 वेतन से स्रोत पर काटे गए कर का विवरण [नियोक्ता(ओं) द्वारा जारी प्ररूप 16 के अनुसार]				
	टैन	नियोक्ता का नाम	वेतन के अधीन आय	कर में कटौती
	स्तंभ (1)	स्तंभ (2)	स्तंभ (3)	स्तंभ (4)
घ1				
घ2				
घ3				
टिप्पण ▶ घ 15 में अनुसूची-टीडीएस 1 के स्तंभ 4 और अनुसूची-टीडीएस 2 के स्तंभ 6 का कुल योग दर्ज करें				

अनुसूची टीडीएस-2 वेतन से भिन्न आय से स्रोत पर काटे गए कर का विवरण : [कटौतीकर्ता(ओं) द्वारा जारी किए गए प्ररूप 16क या प्रस्तुत किए गए प्ररूप 16ग या प्ररूप 16घ के अनुसार]									
क्र.सं.	कटौतीकर्ता का टैन/ किराएदार का पेन/ आधार संख्या	धारा, जिसके अधीन स्रोत पर कर कटौती की गई है	अदावाकृत टीडीएस अग्रणीत किया गया	वर्तमान वित्तीय वर्ष का टीडीएस	टीडीएस जमा, जिसका इस वर्ष दावा किया जा रहा है (केवल यदि इस वर्ष कर के लिए संबंधित प्राप्ति की कर के लिए पेशकश की जा रही है, यदि टीडीएस धारा 194ढ के अधीन काटा जाता है तो लागू नहीं)	पेशकश की गई तदनुसूची प्राप्ति/ निकासी	टीडीएस जमा को अग्रणीत किया जा रहा है		
(1)	(2क)	(2ख)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i									
ii									
टिप्पण ▶ घ 15 में अनुसूची टीडीएस 2 के स्तंभ 6 और अनुसूची टीडीएस 1 के स्तंभ 4 का योग दर्ज करें ।									

सत्यापन

मैं, _____ पुत्र/पुत्री _____ अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता/करती हूँ कि विवरणी में दी गई सूचना सही और पूर्ण है तथा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार है। मैं यह और घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मेरी _____ की हैसियत से (ई-फाइलिंग यूपिलिटी में डाउन डाउन प्रदान किया जाए) विवरणी प्रस्तुत कर रहा हूँ और मैं इस विवरणी को प्रस्तुत करने और सत्यापन करने के लिए भी समर्थ हूँ। मैं स्थायी खाता संख्यांक _____ धारक हूँ। (कृपया निर्देश देखें)		
स्थान:	यहाँ हस्ताक्षर करें→	
तारीख:		
यदि विवरणी एक टैक्स विवरणी तैयार करने वाले (टीआरपी) द्वारा तैयार की गई है, तो निम्नानुसार और ब्यौरे दें:		
टीआरपी पिन (10 अंक)	टीआरपी का नाम	टीआरपी के प्रति हस्ताक्षर
टीआरपी को संदत्त की जाने वाली रकम '।'		

[सं. 45 /2026/फा0सं0 370142/5/2026-टीपीएल]

प्रदीप शर्मा, उप सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : आयकर नियम, 1962, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) अधिसूचना संख्या का0आ0 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा0कानि0 158(अ), तारीख 05 मार्च, 2026 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2026

G.S.R. 226(E).— In exercise of the powers conferred by section 139 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Second Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force with effect from the 31st day of march, 2026 and shall apply in respect of returns filed for A.Y. 2026-27.
2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the said rules),—
 - (a) in rule 12, —
 - (i) in sub-rule (1),—
 - (A) in the opening portion, for the figure “2025”, the figure “2026” shall be substituted;
 - (B) in clause (a), in sub-clause (ii), for the words “one house property”, the words “two house properties” shall be substituted;
 - (C) in clause (ca), in proviso, in item (IG), for the words “one house property”, the words “two house properties” shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (5), for the figure “2024”, the figure “2025” shall be substituted.
3. In the said rules, in Appendix– II,
 - (a) for FORM ITR-1, the following FORM shall be substituted, namely: —

FORM	ITR-1 SAHAJ	INDIAN INCOME TAX RETURN	Assessment Year				
		<p>[For individuals being a resident (other than not ordinarily resident) having total income upto Rs.50 lakh and having Income from Salaries, two house properties, other sources (Interest etc.), long-term capital gains under section 112A up to Rs. 1.25 lakh, and agricultural income up to Rs.5 thousand]</p> <p>[Not for an individual who is either Director in a company or has invested in unlisted equity shares or in cases where TDS has been deducted u/s 194N or if income-tax is deferred on ESOP or has assets (including financial interest in any entity) located outside India]</p> <p style="text-align: center;"><i>(Refer rules for eligibility)</i></p>	2	0	2	6	-

PART A GENERAL INFORMATION												
(A1) PAN				(A2) First Name	(A4) Date of Birth				(A5) Aadhaar Number (12 digits)			
				(A2a) Middle Name								
				(A3) Last name								
						D	D	M	M	Y	Y	Y
Details to be provided for communication purposes:												
(A6)(a) Primary Mobile No. of the taxpayer	(A6)(b) Secondary Mobile No.	(A7)(a) Primary Email ID of the taxpayer	(A7)(b) Secondary Email ID	Primary Address: (A8a) Flat/Door/Block No. (A9a)Name of Premises/Building/Village (A10a) Road/Street/Post Office Area/Locality (A11a) Town/City/District (A12a) State (A13a) Country (A14a) PIN code Secondary Address: (A8b) Flat/Door/Block No. (A9b)Name of Premises/Building/Village (A10b) Road/Street/Post Office Area/Locality (A11b) Town/City/District (A12b) State (A13b) Country (A14b) PIN code								
(A15) Filed u/s (Tick) [Please see instruction]		<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-Belated, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- After Condonation of delay				(A17) Nature of employment- <input type="checkbox"/> Central Govt. <input type="checkbox"/> State Govt. <input type="checkbox"/> Public Sector Undertaking <input type="checkbox"/> Pensioners-CG <input type="checkbox"/> Pensioners-SG <input type="checkbox"/> Pensioners-PSU <input type="checkbox"/> Pensioners- Others <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/> Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)						
(A16) Or Filed in response to notice u/s		<input type="checkbox"/> 139(9), <input type="checkbox"/> 142(1), <input type="checkbox"/> 148, <input type="checkbox"/> 153C										
(A18) If revised/defective, then enter Receipt No. and Date of filing original return (DD/MM/YYYY)												
(A19) If filed in response to notice u/s 139(9)/142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order												/
(A20) Do you wish to exercise the option u/s 115BAC(6) of Opting out of new tax regime? (default is "No") <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
(A21) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
If yes, please furnish following information												
[Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]												
(i) Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/ No)								Amount (Rs) (If Yes)				
(ii) Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)								Amount (Rs) (If Yes)				
(iii) Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)								(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No				
(A22) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No												
If yes, please furnish following information -												
(1)	Name of the representative assessee											
(2)	Email-ID of the representative assessee											
(3)	Contact number of the representative assessee											

PART B GROSS TOTAL INCOME											
Whole- Rupee () only											
SALARY / PENSION	B1	i	Gross Salary (ia + ib + ic)							i	
		a	Salary as per section 17(1)							ia	
		b	Value of perquisites as per section 17(2)							ib	
		c	Profit in lieu of salary as per section 17(3)							ic	
		ii	Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3))							ii	
		iii	Net Salary (i – ii)							iii	
		iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb + ivc)								
		a	Standard deduction u/s 16(ia)							iva	
		b	Entertainment allowance u/s 16(ii)							ivb	
		c	Professional tax u/s 16(iii)							ivc	
	v	Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv)							B1		
B2	Details of Income from House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)										
	Address of property 1			Town/ City		State	Country		Pin Code/ ZIP Code		
	Is the property co-owned? o Yes o No (if "YES" please enter following details)										
	Your percentage of share in the property (%)										
	Name of Co-owner(s)			PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)			Percentage Share in Property				
	I										
	II										
	/Tick the applicable option] <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out	Name(s) of Tenant(s) (if let out)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see note)				PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)			
		I									
		II									
	a	Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year						1a			
	b	The amount of rent which cannot be realized				1b					
	c	Tax paid to local authorities				1c					
	d	Total (1b + 1c)				1d					
	e	Annual Value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)						1e			
	f	Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)						1f			
	g	30% of Annual Value				1g					
	h	Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)				1h					
	i	Total (1g+ 1h)						1i			
	j	Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%						1j			
	k	Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)						1k			
		Income chargeable under the head 'House Property' (Σ1k) (If loss, put the figure in negative) Note: - Maximum loss from House Property that can be set-off is INR 2, 00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2						B2			
		(fill up details separately for each property for up to 2 properties)									
	NOTE ►	Furnishing of PAN/ Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.									
		Income from Other Sources (drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided in e-filing utility specifying nature of income and in case of dividend income, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C)						B3			
		Less: Deduction u/s 57(iia) (in case of family pension only)									
B4		Gross Total Income (B1+B2+B3+C3(a)(iii)) (If loss, put the figure in negative) Note: To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -2						B4			
PART C – DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME											

80C (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCD(1) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCD(1B) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCD(2) (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80CCH	80D (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80DD (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80DDB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80E (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80EE (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	
80EEA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80EEB (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80G (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GG (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GGA (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80GGC (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	80TTA	80TTB	80U (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	Any other Deduction as per the e-filing utility (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)		
Total deductions						C1			Total Income (B4-C1)	C2	
Note: The Total Income Field includes LTCG u/s 112A. However, no tax would be payable on the said income.											
C3	Exempt Income For reporting purpose and Income on which no tax is payable							<i>Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section</i>			
C3(a)	Long Term capital gains u/s 112A not chargeable to Income-tax										
	<ul style="list-style-type: none"> i. Total sale consideration ii. Total cost of acquisition iii. Long term capital gains as per sec 112A 										

PART D – COMPUTATION OF TAX PAYABLE

D1	Tax payable on total income		D2	Rebate u/s 87A		D3	Tax after Rebate	
D4	Health and education Cess @ 4% on D3		D5	Total Tax and Cess		D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	
D7	Interest u/s 234A		D8	Interest u/s 234B		D9	Interest u/s 234C	
D10	Fee u/s 234F		D10(a)	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)				
D11	Total Tax, Fee and Interest (D5+D7+D8+D9+D10+D10(a)-D6)							
D12	Total Taxes Paid		D13	Amount payable (D11-D12) (if D11>D12)		D14	Refund (D12-D11) (if D12>D11)	

PART E – OTHER INFORMATION

Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)

Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Type of account (Dropdown to be provided by E-filing utility)	Select Account for Refund Credit
I					
<ol style="list-style-type: none"> 1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c. 2. Minimum one account should be selected for refund credit. 3. In case multiple accounts are selected, refund will be credited to one of the validated accounts decided by CPC after processing the return. 					

												Individual <input type="checkbox"/> HUF <input type="checkbox"/> Firm (other than LLP) <input type="checkbox"/>	
Details to be provided for communication purposes:													
(A16) Residential/Office Phone Number with STD code/ Primary Mobile number of the taxpayer								(A17) Secondary Mobile number				(A18a) Primary Email ID of the taxpayer	
												(A18b) Secondary Email ID	
(A19) Nature of employment - <input type="checkbox"/> Central Govt. <input type="checkbox"/> State Govt. <input type="checkbox"/> Public Sector Undertaking <input type="checkbox"/> Pensioners-CG <input type="checkbox"/> Pensioners-SG <input type="checkbox"/> Pensioners-PSU <input type="checkbox"/> Pensioners- Others <input type="checkbox"/> Others <input type="checkbox"/> Not Applicable (e.g. Family Pension etc.)													
(A20)(a) Filed u/s (Tick) Please see instruction -				<input type="checkbox"/> 139(1)-On or before due date, <input type="checkbox"/> 139(4)-After due date, <input type="checkbox"/> 139(5)-Revised Return, <input type="checkbox"/> 119(2)(b)- After Condonation of delay									
(b) Or Filed in response to notice u/s				<input type="checkbox"/> 139(9) <input type="checkbox"/> 142(1) <input type="checkbox"/> 148 <input type="checkbox"/> 153C									
(A21) If revised/defective then enter Receipt No. and Date of filing of original return (DD/MM/YYYY)												/ /	
(A22) If filed in response to notice u/s 139(9) /142(1)/148/153C or order u/s 119(2)(b)- enter Unique Number/ Document Identification Number (DIN) & Date of such Notice or Order										/ /			
(A23) Have you filed form 10IEA within due date for any earlier assessment year for choosing old tax regime? (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Not Applicable													
(A) If answer to A23 is yes, then													
i. Furnish form 10IEA acknowledgement number and assessment year for which this form for choosing old tax regime was filed.													
ii. Have you filed ITR 3/4 in past and have re-entered new tax regime by filing form 10IEA for any assessment year subsequent to assessment year in which first form 10IEA was filed for choosing old tax regime? (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
(a) If answer to A23(A)(ii) is Yes, provide the acknowledgement number of second form 10IEA and assessment year for which this form for choosing new tax regime was filed, and furnish ITR in new tax regime.													
(b) If answer to A23(A)(ii) is No, have you furnished form 10IEA for re-entering in new tax regime in current assessment year? (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
(b)(i) If yes, then provide the acknowledgement number of form 10IEA and furnish ITR in new tax regime, (b)(ii) If No, then furnish ITR in old tax regime.													
(B) If answer to A23 is No:													
Have you furnished form 10IEA within due date for current assessment year for choosing old tax regime? (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
i. If answer to A23(B) is Yes, provide the acknowledgement number of form 10IEA, and then furnish return in old tax regime,													
ii. If answer to A23(B) is No, furnish ITR in new tax regime.													
Note- The default regime under section 115BAC(1A) is the 'new regime'. 'Old regime' can be chosen by opting out of new regime u/s. 115BAC(6) by filing form 10IEA, which should be exercised on or before the due date for furnishing the return of income u/s 139(1).													
(A24) Are you filing return of income under Seventh proviso to section 139(1) but otherwise not required to furnish return of income? (Not applicable in case of firm) - (Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
If yes, please furnish following information as provided in e-filing utility													
[Note: To be filled only if a person is not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income due to fulfilling one or more conditions mentioned in the seventh proviso to section 139(1)]													
(i) Have you deposited amount or aggregate of amounts exceeding Rs. 1 Crore in one or more current account during the previous year? (Yes/No)										Amount (Rs) (If Yes)			
(ii) Have you incurred expenditure of an amount or aggregate of amount exceeding Rs. 2 lakhs for travel to a foreign country for yourself or for any other person? (Yes/ No)										Amount (Rs) (If Yes)			
(iii) Have you incurred expenditure of amount or aggregate of amount exceeding Rs. 1 lakh on consumption of electricity during the previous year? (Yes/No)										Amount (Rs) (If Yes)			
(iv) Are you required to file a return as per other conditions prescribed under clause (iv) of seventh proviso to section 139(1) (If yes, please select the relevant condition from the drop-down menu)										(Tick) <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No			
(A25) Whether this return is being filed by a representative assessee? (Tick) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No													
If yes, please furnish following information -													
(1)	Name of the representative assessee												
(2)	Email-ID of the representative assessee												

(3)	Contact Number of the representative assessee
-----	---

PART B GROSS TOTAL INCOME		Whole- Rupee () only	
---------------------------	--	----------------------	--

B1	Income from Business & Profession (NOTE-Enter value from E8 of Schedule BP)	B1	
B2 i	Gross Salary (ia + ib + ic)	i	
SALARY /	a Salary as per section 17(1)	ia	
	b Value of perquisites as per section 17(2)	ib	
	c Profit in lieu of salary as per section 17(3)	ic	
	ii Less allowances to the extent exempt u/s 10 (drop down to be provided in e-filing utility) (Ensure that it is included in salary income u/s 17(1)/17(2)/17(3))	ii	
	ii Net Salary (i – ii)	iii	
iv	Deductions u/s 16 (iva + ivb + ivc)		
SALARY /	a Standard deduction u/s 16(ia)	Iva	
	b Entertainment allowance u/s 16(ii)	ivb	
	c Professional tax u/s 16(iii)	ivc	
	v Income chargeable under the head 'Salaries' (iii – iv)	B2	

B3	Details of Income from House Property (Drop down to be provided indicating ownership of property)
-----------	--

HOUSE PROPERTY	Address of property 1		Town/ City	State	Country	Pin Code/ ZIP Code					
	Is the property co-owned? o Yes o No (if "YES" please enter following details)										
	Your percentage of share in the property (%) <input type="text"/>										
	Name of Co-owner(s)		PAN/Aadhaar No. of Co-owner (s)			Percentage Share in Property					
	I										
	II										
	/Tick the applicable option] <input type="checkbox"/> Let out <input type="checkbox"/> Self-occupied <input type="checkbox"/> Deemed let out		Name(s) of Tenant(s) (if let/tenanted)		PAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (Please see out)			PAN/TAN/Aadhaar No. of Tenant(s) (if TDS credit is claimed)			
			I								
	II										
	a		Gross rent received/ receivable/ lettable value during the year			1a					
	b		The amount of rent which cannot be realized			1b					
	c		Tax paid to local authorities			1c					
	d		Total (1b + 1c)			1d					
	e		Annual Value (1a – 1d) (nil, if self-occupied etc. as per section 23(2) of the Act)			1e					
	f		Annual value of the property owned (own percentage share x 1e)			1f					
g		30% of Annual Value			1g						
h		Interest payable on borrowed capital (Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)			1h						
i		Total (1g+ 1h)			1i						
j		Arrears/Unrealised rent received during the year less 30%			1j						
k		Income from house property 1 (1f – 1i + 1j)			1k						
		Income chargeable under the head 'House Property' (Σ1k) (If loss, put the figure in negative) Note:-Maximum loss from house property that can be set-off is INR 2,00,000. To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5. (fill up details separately for each property for up to 2 properties)			B3						
NOTE ▶ Furnishing of PAN/ Aadhaar No. of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-IB. Furnishing of TAN of tenant is mandatory, if tax is deducted under section 194-I.											
B4	Income from Other Sources drop down like interest from saving account, deposit etc. to be provided in e-filing utility specifying nature of income and in case of dividend and, please mention quarterly breakup for allowing applicable relief from section 234C			B4							

	NOTE- Fill “Sch TDS2” if applicable.	
	Less: Deduction u/s 57(ia) (in case of family pension only)	
B5	Gross Total Income (B1+B2+B3+B4+D20(a)(iii)) To avail the benefit of carry forward and set of loss, please use ITR -3/5.	B5

PART C—DEDUCTIONS AND TAXABLE TOTAL INCOME

C1	80C	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C2	80CCC	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C3	80CCD (1)	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
C4	80CCD(1B)	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C5	80CCD(2)	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C6	80D	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
C7	80DD	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C8	80DDB	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C9	80E	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
C10	80EE	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C11	80EEA	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C12	80EEB	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
C13	80G	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C14	80GG	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)	C15	80GGC	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
C16	80TTA		C17	80TTB		C18	80U	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)
C18a	80CCH		C18b	Any Other deduction as per the e-filing utility	(Details are to be filled in the drop down to be provided in e-filing utility)			
C19	Total deductions (Add items C1 to C18b)							C19
C20	Taxable Total Income (B5 - C19)							C20

Note: The Total Income Field includes LTCG u/s 112A. However, no tax would be payable on the said income.

PART D – TAX COMPUTATIONS AND TAX STATUS

D1	Tax payable on total income (C20)	D1
D2	Rebate on 87A	D2
D3	Tax payable after Rebate (D1-D2)	D3
D4	Health and Education Cess @ 4% on (D3)	D4
D5	Total Tax, and Cess (D3+D4)	D5
D6	Relief u/s 89 (Please ensure to submit Form 10E to claim this relief)	D6
D7	Balance Tax after Relief (D5 – D6)	D7
D8	Total Interest u/s 234A	D8
D9	Total Interest u/s 234B	D9
D10	Total Interest u/s 234C	D10
D11	Fee u/s 234F	D11
D11a	Fee for furnishing revised return of income (section 234-I)	D11a
D12	Total Tax, Fee and Interest (D7+ D8 + D9 + D10 + D11+D11a)	D12
D13	Total Advance Tax Paid	D13
D14	Total Self-Assessment Tax Paid	D14
D15	Total TDS Claimed (total of column 4 of Schedule-TDS1 and, column 6 of Schedule-TDS2)	D15
D16	Total TCS Collected (total of column (5) of Schedule-TCS)	D16
D17	Total Taxes Paid (D13+ D14 + D15 + D16)	D17

D18	Amount payable (D12 – D17, If D12 > D17)	D18	
D19	Refund (D17 – D12, If D17 > D12)	D19	
D20	Exempt income only for reporting purposes (If agricultural income is more than Rs. 5,000/-, use ITR 3/5) and Income on which no tax is payable (Drop down to be provided in e-filing utility mentioning nature of exempt income, relevant clause and section)	D20	
D20(a)	Long Term capital gains under section 112A not chargeable to Income-tax i. Total sale consideration ii. Total cost of acquisition iii. Long term capital gains as per section 112A		

BANK ACCOUNT	D21 Details of all Bank Accounts held in India at any time during the previous year (excluding dormant accounts)					
	Sl.	IFS Code of the Bank	Name of the Bank	Account Number	Type of bank account (Dropdown to be provided by E-filing utility)	Select Account for Refund Credit
	i					
ii						

1. All bank accounts held at any time are to be reported, except dormant A/c.
2. Minimum one account should be selected for refund credit.
3. In case multiple accounts are selected, refund will be credited to one of the validated accounts decided by CPC after processing the return.

SCHEDULE BP – DETAILS OF INCOME FROM BUSINESS OR PROFESSION			
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE BUSINESS INCOME UNDER SECTION 44AD			
S. No.	Name of Business	Business code	Description
(i)			
E1	Gross Turnover or Gross Receipts (E1 limited to Rs.2 Crores, however if [E1b+ E1c] is less than or equal to 5% of E1 then the limit under E1 is extended to Rs.3 Crores.)		
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date	E1a
	b	Receipts in Cash	E1b
	c	Any mode other than a and b	E1c
E2	Presumptive Income under section 44AD		
	a	6% of E1a or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	E2a
	b	8% of (E1b+E1c) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher	E2b
	c	Total (a + b)	E2c
	NOTE—If Income is less than the above percentage of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed.		
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM PROFESSIONS UNDER SECTION 44ADA			
S. No.	Name of Business/Profession	Business code	Description
(i)			
E3	Gross Receipts (E3 limited to Rs.50 Lakhs, however if [E3b + E3c] is less than or equal to 5% of E3 then limit under E3 is extended to Rs.75 Lakhs.)		E3
	a	Through a/c payee cheque or a/c payee bank draft or bank electronic clearing system received or prescribed electronic modes received before specified date	E3a
	b	Receipts in Cash	E3b
	c	Any mode other than a and b	E3c

E4	Presumptive Income under section 44ADA (50% of E3) or the amount claimed to have been earned, whichever is higher NOTE—If Income is less than 50% of Gross Receipts, it is mandatory to have a tax audit under 44AB & other ITR as applicable has to be filed				E4	
COMPUTATION OF PRESUMPTIVE INCOME FROM GOODS CARRIAGES UNDER SECTION 44AE						
S. No.	Name of Business			Business code	Description	
(i)						
	<u>Registration No. of goods carriage</u>	<u>Whether owned/ leased/ hired</u>	<u>Tonnage capacity of goods carriage (in MT)</u>	<u>Number of months for which goods carriage was owned/ leased/hired by assessee</u>	<u>Presumptive income u/s 44AE for the goods carriage (Computed @ Rs.1000 per ton per month in case tonnage exceeds 12MT, or else @ Rs.7500 per month) or the amount claimed to have been actually earned, whichever is higher</u>	
(i)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(a)						
(b)						
Add row options as necessary (At any time during the year the number of vehicles should not exceed 10 vehicles)						
E5	Presumptive Income from Goods Carriage under section 44AE [total of column (5)] NOTE—If the profits are lower than prescribed under section 44AE or the number of Vehicles owned at any time exceed 10 then other ITR, as applicable, has to be filed				E5	
E6	Salary and interest paid to the partners NOTE – This is to be filled up only by firms				E6	
E7	Presumptive Income u/s 44AE (E5-E6)				E7	
E8	Income chargeable under the head 'Business or Profession' (E2c+E4+E7)				E8	
INFORMATION REGARDING TURNOVER/GROSS RECEIPT REPORTED FOR GST Note – Please furnish the information below for each GSTIN No. separately						
E9	GSTIN No(s).				E9	
E10	Annual value of outward supplies as per the GST returns filed				E10	
FINANCIAL PARTICULARS OF THE BUSINESS Note—For E11 to E25 furnish the information as on 31 st day of March, 2026						
E11	Partners/ Members own capital				E11	
E12	Secured loans				E12	
E13	Unsecured loans				E13	
E14	Advances				E14	
E15	Sundry creditors				E15	
E16	Other liabilities				E16	
E17	Total capital and liabilities (E11+E12+E13+E14+E15+E16)				E17	
E18	Fixed assets				E18	
E18a	Investments				E18a	
E19	Inventories				E19	
E20	Sundry debtors				E20	
E21	Balance with banks				E21	
E22	Cash-in-hand				E22	
E23	Loans and advances				E23	
E24	Other assets				E24	
E25	Total assets (E18+E18a+E19+E20+E21+E22+E23+E24)				E25	
NOTE ▶ Please refer to instructions for filling out this schedule (E15, E19, E20, E21, E22 are mandatory and others if available)						

SCHEDULE IT DETAILS OF ADVANCE TAX AND SELF ASSESSMENT TAX PAYMENTS

	BSR Code				Date of Deposit (DD/MM/YYYY)				Challan No.				Tax paid			
	Col (1)				Col (2)				Col (3)				Col (4)			
R1																
R2																
R3																

Enter the totals of Advance tax and Self-Assessment tax in D13 & D14

Schedule TCS Details of Tax Collected at Source [As per Form 27D issued by the Collector(s)]

Sl No.	Tax Collection Account Number of the Collector	Name of the Collector	Details of amount paid as mentioned in Form 26AS	Tax Collected	Amount out of (4) being claimed
(1)	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)	Col (5)
I					
ii					

NOTE ▶ Please enter total of column (5) of Schedule-TCS in D16

SCHEDULE TDS-1 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE FROM SALARY

[As per Form 16 issued by Employer(s)]

	TAN	Name of the Employer	Income under Salary	Tax deducted
	Col (1)	Col (2)	Col (3)	Col (4)
S1				
S2				
S3				

NOTE ▶ Enter the total of column 4 of Schedule-TDS1 and column 6 of Schedule-TDS2 in D15

SCHEDULE TDS-2 DETAILS OF TAX DEDUCTED AT SOURCE ON INCOME OTHER THAN SALARY

[As per Form 16 A issued or Form 16C or Form 16D furnished by Deductor(s)]

Sl. No.	TAN of the Deductor/ PAN/ Aadhaar No. of Tenant	Section under which TDS is deducted	Unclaimed TDS brought forward (b/f)		TDS of the current Fin. Year	TDS credit being claimed this Year (only if corresponding receipt is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted u/s 194N)	Corresponding Receipt/ withdrawals offered		TDS credit being carried forward
			Fin. Year in which deducted	TDS b/f	TDS Deducted		TDS Claimed	Gross Amount	
(1)	(2a)	(2b)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
i									
ii									

Enter the total of column 6 of Schedule TDS2 and column 4 of Schedule-TDS1 in D15

VERIFICATION

I, _____ son/ daughter of _____
solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return is correct and complete and is in accordance with the provisions of the Income-tax Act, 1961. I further declare that I am making returns in my capacity as _____ (drop down to be provided in e-filing utility) and I am also competent to make this return and verify it. I am holding permanent account number _____. (Please see instruction)

Place:

Signature here →

Date :

If the return has been prepared by a Tax Return Preparer (TRP) give further details as below:

TRP PIN (10 Digit)	Name of TRP	Counter Signature of TRP										
<table border="1"> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>												
Amount to be paid to TRP: ₹.												

[No. 45 /2026/F. No. 370142/5/2026-TPL]

PRADEEP SHARMA, Dy. Secy., Tax Policy and Legislation

Note:- The Income-tax Rules, 1962 rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and last amended *vide* notification GSR 158(E), dated the 05th March, 2026.